राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक 1(35)कार्मिक/क–2/74 पार्ट जयपुर, दिनांक 16 AUG 2010

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव। शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)।

परिपत्र

विषयः–राजसेवकों के स्थाईकरण के संबंध में।

राज्य के अधीन राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के अन्तर्गत विविध सेवा नियमों में राजसेवकों के परिवीक्षा काल पूर्ण करने के पश्चात एवं नियमों में विहित अन्य पात्रताएं पूर्ण करने पर राजसेवक के स्थाईकरण (Confirmation) का प्रावधान स्पष्टतः विहित है। तथापि राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कतिपय नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित राजसेवकों के मामलों में नियमानुसार स्थाईकरण की कार्यवाही नहीं करते है व राजसेवकों के स्थाईकरण आदेश जारी नहीं किये जाते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील संख्या 596/2007–"खाजिया मोहम्मद मुजाम्मिल – बनाम कर्नाटक राज्य" में दिनांक 08.07.2010 को पारित निर्णय में निर्देशित किया है कि नियमानुसार स्थाईकरण के आदेश समय पर जारी हों।

इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी राजसेवक को सेवा नियमों में विहित स्थाईकरण के प्रावधान के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण किये जाने पर उसके स्थाईकरण (Confirmation) के आदेश प्रसारित किये जावें। यदि किसी कारण से परिवीक्षा काल बढ़ाया जाता है तो पर्याप्त कारण वर्णित करते हुए परिवीक्षा काल अभिवृद्धि के आदेश भी प्रसारित किये जावें।

अतः समस्त नियुक्तिकर्ता अधिकारियों/प्राधिकारियों को व्यादिष्ठ किया जाता है कि राजसेवकों के परिवीक्षा काल पूर्ण कर लेने के पश्चात् स्थाईकरण आदेश अवश्यमेव रूप से जारी किये जावें।

13/8/10
(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक रजिस्ट्रार, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को उनके डा0 सं. 5949/10/IV-A/ दिनांक 15.7.2010 के क्रम में।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

35/2010